

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 85 का उपनियम (9) देखिये )

ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा जो व्यापार कर अधिकारी से घोषणा-पत्र प्राप्त करें, रखा जाने वाला रजिस्टर।

## प्राप्ति

दिनांक	कुलसंख्या	क्रम संख्या	दिनांक	वायापारी /पारेषक का नाम तथा पूरा जिसे जारी किया गया
		.....		
से	तक			
1	2	3	4	5
				6

` दूसरे राज्यों के विक्रेता व्यापारियों/पारेषकों को जारी किये गये रूप पत्र

जारी किये गये	माल का विवरण	परिमाण	बिल /कैशमैमो	धनराशि	अन्युक्ति
रूप-पत्रों की			चालान संख्या		
क्रम संख्या			के हस्ताक्षर		
7	8	9	10	11	12